

न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्या: 14/2018 ( सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

कमल नयन पारीक मकान नंबर 3439, नीलकंठ महादेव, जयलाल मुंशी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।

बनाम

...अपीलांट

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं ( उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम) जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट



अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक: 30.10.18


अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत दिनांक 01.08.2018 का आवेदन-पत्र मय प्रोसेस फीस राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के कार्यालय में पंजीकृत डाक से भेजा गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 08.10.2018 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलांट स्वयं अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी की ओर से स्वयं या उनके प्रतिनिधि अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से अपील मीमो का जवाब/टिप्पणी प्राप्त हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। राज्य लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक लो.सू./2018 दिनांक 18.10.2018 द्वारा अपीलांट को जरिये पत्र कार्यालय में उपस्थित होकर रिकॉर्ड का निरीक्षण करने हेतु सूचित करना जाहिर किया है, किन्तु सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 01.08.2018 में अंकित वांछित सूचना/रिकार्ड अपीलांट को निःशुल्क 15 दिवस में उपलब्ध करावे। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(पुखराज सेन)  
अपीलीय अधिकारी.